संख्या-430/2026/1995/69-1-2026-1913880

प्रेषक,

संकठा प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-मऊ की 30 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4409/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2026-27-मऊ, दिनांक 13.10.2026 एवं पत्र संख्या-3691/10/छः/विविध/(द्वितीय किश्त)/2026-27, दिनांक 23.09.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत** शासनादेश संख्या-185/2025/979/69-1-25-1913880, दिनांक 31.03.2025 द्वारा जनपद-मऊ की 30 परियोजनाओं हेतु रू0 615.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 10 प्रतिशत अर्थात रू0 61.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 30 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की अवशेष **धनराशि रू0 550.42 लाख (रूपये पॉच करोड़ पचास लाख बयालीस हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, माननीया राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत	सैंटेज सहित निविदा की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (कॉलम 6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	न0पं0 चिरैयाकोट	वार्ड नं0-06 मु०-मोलनागंज में रमेश प्रजापति के घर से संदीप प्रजापति के घर तक नाली, पटिया एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	11.730	11.690	1.173	10.517

2	मऊ	न0पं0 चिरैयाकोट	वार्ड नं0-07 मु०-मुबारकपुर में अकरम शाह के घर से शकील कुरैशी के घर तक नाली पटिया एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	2.650	2.640	0.265	2.375
3	मऊ	न0पं0 अदरी	वार्ड नं0 4 मुहल्ला स्टेशन रोड में पंडिताइन के मकान से रिंकू के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	19.680	19.640	1.968	17.672
4	मऊ	न0पं0 मधुबन	वार्ड नं. 7 आदर्श नगर छपराभंगी के प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के प्रांगण से मां काली मन्दिर तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	14.040	13.740	1.404	12.336
5	मऊ	न0पं0 मधुबन	वार्ड नं0 07 आदर्श नगर मुन्ना राजभर के घर से होते हुए सूर्यभान विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	23.350	22.950	2.335	20.615
6	मऊ	न0पं0 मधुबन	वार्ड नं0 07 आदर्श नगर में अमरनाथ गुप्ता के घर से लेकर रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.370	9.140	0.937	8.203
7	मऊ	न0पं0 मधुबन	वार्ड नं0 07 आदर्श नगर में रमेश भारती के घर से लेकर संत बाबा रविदास कुटिया तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.500	17.130	1.750	15.380
8	मऊ	न0पं0 मधुबन	वार्ड नं0 07 आदर्श नगर में श्यामबिहारी के मकान से लेकर हरिन्द्र प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	13.370	13.300	1.337	11.963
9	मऊ	न0पं0 मधुबन	वार्ड नं0 07 आदर्श नगर में राजेन्द्र मल्ल के घर से गुलाब चन्द्र वर्मा के घर से	8.920	8.630	0.892	7.738

			होते हुए सरकारी पोखरी तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।				
10	**मऊ**	**न0पं0 मधुबन**	वार्ड नं0 07 आदर्श नगर में श्रीकिशुन के घर से लेकर ऊर्मिला देवी के घर तक इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	9.440	9.140	0.944	8.196
11	**मऊ**	**न0पं0 कुर्थीजाफरपुर**	वार्ड नं0 04 में इसातुल ओलूम के पास होते हुए धर्मेन्द्र बांसफोर के मकान तक नाली, आरसीसी पटिया व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	27.230	26.930	2.723	24.207
12	**मऊ**	**न0पं0 कुर्थीजाफरपुर**	वार्ड नं0 08 में हसन रजा के दरवाजे से औलाद के दरवाजे तक नाली, आरसीसी पटिया व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.470	4.410	0.447	3.963
13	**मऊ**	**न0पं0 कुर्थीजाफरपुर**	वार्ड नं0 08 में मस्जिद एमाम मेहदी से आले मुहम्मद की दुकान तक नाली, आरसीसी पटिया व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.400	11.280	1.140	10.140
14	**मऊ**	**न0पं0 कुर्थीजाफरपुर**	वार्ड नं 14 में राम बदन मास्टर के घर से ओम प्रकाश गुप्ता के घर तक नाली, आरसीसी पटिया व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.480	8.430	0.848	7.582
15	**मऊ**	**न0पं0 वलीदपुर**	वार्ड नं0 14 में इरसाद के मकान से अब्दुल्लाह के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	9.580	9.560	0.958	8.602
16	**मऊ**	**न0पं0 कोपागंज**	वार्ड नं0 05 में मलिन बस्ती से फोरलेन तक साइड वाल व सी०सी० रोड का कार्य।	29.410	29.390	2.941	26.449
17	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं0 08 मुहल्ला करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में	21.780	21.750	2.178	19.572

			इश्तेयाक अहमद 17 के मकान होते हुए कमरूल हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।				
18	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं0 08 मुहल्ला करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में समीम अहमद के 18 मकान से साजिद का मकान होते हुए मुमताज नाजीम का मकान होते हुए शाहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	39.220	39.190	3.922	35.268
19	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं0 08 मुहल्ला करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में मुहम्मद अहमद के मकान से नईम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	27.260	27.230	2.726	24.504
20	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं0 07 मुहल्ला करीमुद्दीनपुर बाग में नेसार के मकान से जमशेद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	15.870	15.850	1.587	14.263
21	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं० 3 मु० बड़ागांव उत्तरी में सदाफल यादव के मकान से जानू नोना के मकान सी०सी० रोड का निर्माण।	38.980	38.940	3.898	35.042
22	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं0 10 मदापुर पूर्वी में मोहम्मद आसिफ के मकान से मो० 22 सलमान के मकान होते हुए स्व० मुस्ताक अहमद के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.180	10.170	1.018	9.152
23	**मऊ**	**न0पा0परि0**	वार्ड नं0 38 छितनपुरा में	36.370	36.330	3.637	32.693

		मऊनाथ भंजन	मुस्तफा कम के हाता 23 से लाल मास्टर, अब्दुर्रहमान के मकान होते हुए बनारसी पुलिया एवं नेयाज के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली पटिया निर्माण कार्य।				
24	**मऊ**	**न0पं0 कुर्थीजाफरपुर**	वार्ड नं0-11 में मनोज चौहान के घर से बृजेश सिंह के मकान तक नाली, आरसीसी पटिया व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	16.440	16.390	1.644	14.746
25	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं0-6, पट्टी मुहम्मद उर्फ काजीपुरा अनुसूचित बस्ती में बेचन जयसवाल की चक्की से रामदेव सिपाही के मकान तक मिट्टी भराव व दीवार नाली पटिया व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	17.250	17.220	1.725	15.495
26	**मऊ**	**न0पं0 घोसी**	वार्ड नं0-6, पट्टी मुहम्मद उर्फ काजीपुरा अनुसूचित बस्ती में 26 सफातुल्लाह के मकान से कैफी के मकान से होते हुए इक्कानी बाबा के मजार तक मिट्टी भराव व दीवार नाली पटिया व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	38.050	37.950	3.805	34.145
27	**मऊ**	**न0पं0 अमिला**	वार्ड नं0-08, मुहल्ला-झारखण्डे नगर में बचनी सिंह के घर से भंवरनाथ यादव के घर होते हुए पिच रोड तक नाली पटिया व इण्टरलॉकिंग कार्य।	34.380	34.340	3.438	30.902
28	**मऊ**	**न0पा0परि0 मऊनाथ भंजन**	वार्ड संख्या-11, ख्वाजाजहांपुर में मोहल्ला रेवरीडीह में उदयभान के घर के सामने से राकेश कुमार के घर होते हुए रामजीत के घर होते हुए मुल्लन का घर होते	22.380	22.340	2.238	20.102

			हुए शिवहरक के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।				
29	**मऊ**	**न0पा0परि0 मऊनाथ भंजन**	वार्ड संख्या-11, ख्वाजाजहांपुर में मोहल्ला 29 रेवरीडीह रामकृत पाल के घर डीहबाबा का स्थान होते हुए एनएच-29 तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	36.850	36.800	3.685	33.115
30	**मऊ**	**न0पा0परि0 मऊनाथ भंजन**	वार्ड नं.-38, प्रेमाराय में अफजाल के मकान से फज्जे, नुरुल हक, शब्बीर बिजली, एहसान इरशाद अजन्ता के मकान से होते हुए 39.47 शफीक, खैरूल बशर के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली पटिया निर्माण कार्य।	39.470	39.430	3.947	35.483
			योग	**615.100**	**611.930**	**61.510**	**550.420**

(रूपये पॉच करोड़ पचास लाख बयालीस हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/ 2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस

बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2027 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** -37 **लेखा शीर्षक** 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संकठा प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनॉक तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण**, मऊ।**
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)
उप सचिव।